



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एच.16(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/ 1476 जयपुर, दिनांक:- 5-11-2014

अतिरिक्त:

विभागीय अधिसूचना संख्या एच.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-88 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तिग्रहण आग्रह करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिसूचित किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्यवाई मिले जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अभिवृत्तियों का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संसारीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन कर्वाये जाने के पश्चात् जालौर जिले की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और कि :-

- जालौर जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतें उस नाम से जानी जायेंगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के संग्राम संख्या 4 में वर्णित है;
- यह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्र. ए. पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथा नामित पंचायत अधिकारिता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि साम्य 5 वर्णित है;
- अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायतों के चुनाव छ. माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;
- और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायतें जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान रहें। रहेगी और कार्य करना बन्द कर देनी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायतों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

पंचायत समिति - सायल

क्र. सं.	वर्तमान ग्रामों का नाम	वर्तमान ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम
1	सिराणा	3	सिराणा	4	5
1	सिराणा	1. सिराणा	1. सिराणा	1. सिराणा	1. सिराणा
2	-	-	2. डाहली	2. डाहली	2. डाहली
3	-	-	3. खारी	3. खारी	3. खारी
			4. खारी	4. खारी	4. खारी
			5. खून्वा की झण्डी	5. खून्वा की झण्डी	5. खून्वा की झण्डी
			6. तेजा की देरी	6. तेजा की देरी	6. तेजा की देरी
			7. साजन्पुरा	7. साजन्पुरा	7. साजन्पुरा

पंचायत समिति - भीरमाल

क्र. सं.	वर्तमान ग्रामों का नाम	वर्तमान ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम
1	भीरमाल	3	भीरमाल	4	5
1	भीरमाल	1. देवदा का मोरिया	1. भीरमाल	1. भीरमाल	1. भीरमाल
2	-	2. मोरसीन	2. मोरसीन	2. मोरसीन	2. मोरसीन
		3. नया मोरसीन	3. नया मोरसीन	3. नया मोरसीन	3. नया मोरसीन
		4. खारवा	4. खारवा	4. खारवा	4. खारवा

पंचायत समिति - रानीवाड़ा

क्र. सं.	वर्तमान ग्रामों का नाम	वर्तमान ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम
1	रानीवाड़ा	3	रानीवाड़ा	4	5
1	रानीवाड़ा	1. रानीवाड़ा	1. रानीवाड़ा	1. रानीवाड़ा	1. रानीवाड़ा
2	-	-	2. मारवाड़ा	2. मारवाड़ा	2. मारवाड़ा
3	-	-	3. मारवाड़ा	3. मारवाड़ा	3. मारवाड़ा
4	-	-	4. मारवाड़ा	4. मारवाड़ा	4. मारवाड़ा
5	-	-	5. मारवाड़ा	5. मारवाड़ा	5. मारवाड़ा
6	-	-	6. मारवाड़ा	6. मारवाड़ा	6. मारवाड़ा
7	-	-	7. मारवाड़ा	7. मारवाड़ा	7. मारवाड़ा
8	-	-	8. मारवाड़ा	8. मारवाड़ा	8. मारवाड़ा
9	-	-	9. मारवाड़ा	9. मारवाड़ा	9. मारवाड़ा

पंचायत समिति - सायल

क्र. सं.	वर्तमान ग्रामों का नाम	वर्तमान ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम
1	सायल	3	सायल	4	5
1	सायल	1. सायल	1. सायल	1. सायल	1. सायल
2	-	-	2. सायल	2. सायल	2. सायल
3	-	-	3. सायल	3. सायल	3. सायल
4	-	-	4. सायल	4. सायल	4. सायल

5	सुरवा	1. सुरवा 2. हिंम 3. सिमन नगर 4. दधुडा 5. लाछीवाड 6. लाछीवाड गोहिका	सुरवा	1. सुरवा 2. हिंम 3. सिमन नगर 4. दधुडा
6	-	-	लाछीवाड	1. लाछीवाड 2. लाछीवाड गोहिका

पंचायत समिति -- चितलवाना

क्र.सं.	वर्तमान प्रमाणिक का नाम	वर्तमान शासक प्रमाणिक का नाम	पुनर्गठित / पुनर्गठित प्रमाणिक / गवर्णित प्रमाणिक का नाम	पुनर्गठित / पुनर्गठित प्रमाणिक / गवर्णित प्रमाणिक का नाम
1	गुडाहेमा	1. गुडाहेमा 2. मेलावास 3. सिधिया धोरा 4. भादुगोदरालीहानी 5. डककरीवाडगोदराली 6. सेली 7. अनसुवा 8. लाटो का गोहिया	गुडाहेमा	1. गुडाहेमा 2. मेलावास 3. सिधिया धोरा 4. भादुगोदरालीहानी
2	-	-	डककरीवाड साई की टापी	1. डककरीवाड साई की टापी 2. सेली 3. अनसुवा 4. लाटो का गोहिया

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महानिर्देशन राज्यपाल महादय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राजीव जयपुर।
6. समस्त संभारगण आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मद्रुणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. रहित पत्रावली।

(सह-शासन सचिव/विशिष्ट)